लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2346

06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र और हथकरघा कामगारों का पुनर्वास

2346. श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश में कितने वस्त्र और हथकरघा कामगार हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वस्त्र और हथकरघा कामगारों के पुनर्वास के लिए कल्याण निधि शुरू करने अथवा कोई कल्याणकारी योजना कार्यान्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में वस्त्र और हथकरघा कामगारों के लिए पहले से कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): हथकरघा जनगणना वर्ष 2019-20 के अनुसार, देश में 35.22 लाख हथकरघा कामगार हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 3509 हथकरघा कामगार शामिल हैं। भारत में वस्त्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत कामगारों की कुल संख्या लगभग 4.5 करोड़ होने का अनुमान है।

(ख) से (ङ): भारत सरकार वस्त्र और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा वस्त्र और हथकरघा कामगारों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे और एसेसरीज की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचनात्मक ढांचे, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 985.71 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश भर में निजी क्षेत्र में गैर-एसएसआई वस्त्र मिलों के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 15.09.1986 से वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) शुरू की थी। दिनांक 01.04.2017 से, टीडब्ल्यूआरएफएस को श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के साथ मिला दिया गया है। टीडब्ल्यूआरएफएस के तहत महाराष्ट्र के 8,093 सहित 1,20,138 कामगारों को राहत प्रदान की गई।

****